Motion regarding reference of Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025 and Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025 to Joint Committee

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नंबर-24, माननीय मंत्री जी ।

***m01** गृह मंत्री**;** तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं **:**

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक**;** संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय उपसभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक-तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है **:**

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक**;** संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय उपसभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए**;**

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक-तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो-यस तो किया जा सकता है, लेकिन आप अपने इस तरीके को सुधार लीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए बार-बार आग्रह करता हूं ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूं कि संसद की आप मर्यादा-गरिमा को न गिरने दें ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश आपको देख रहा है ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता लाने के लिए आते हैं ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नैतिकता और अच्छा आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

? (व्यवधान)

<u>15.06 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

<u>17.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** महासचिव ।

<u>17.0½ hrs</u>